सिंगल ऐजेन्सी क्लीयरेंस प्रणाली

उद्योग संचालनालय

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मध्यप्रदेश शासन

अनुक्रमाणिका (INDEX)

क्रमांक	विभाग का नाम	पृष्ठ क्रमांक
1ण	राजस्व विभाग	1.6
2ण	गृह विभाग	7.9
3ण	वाणिज्यिक कर विभाग	10.16
4ण	श्रम विभाग	17.19
5ण	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	20.24
6ण	उर्जा विभाग	25.27
7ण	आवास एवं पर्यावरण विभाग	28.35
8ण	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	36.38
9ण	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	39.41

● ● ●

राजस्व विभाग

(i) भूमि के व्यपवर्तन के अधिकार

वर्तमान प्रावधान :

वर्तमान में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भूमि व्यपवर्तन के अधिकार हैं जिसके तहत 9 ;36द्ध माह की अवधि में निर्णय न लेने की स्थिति में डीम्ड व्यपवर्तन का प्रावधान है।

नवीन प्रावधान :

डीम्ड व्यपवर्तन की सीमा 9 माह से 4 माह किये जाने हेतु तथा यह अवधि व्यतीत हो जाने पर इकाई को डीम्ड व्यवपर्तन की सूचना देने के अधिकार मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक को दिये जाना प्रस्तावित हैं। राजस्व विभाग के अनुसार भू–राजस्व संहिता में संशोधन न हो पाने के कारण अभी यह अधिकार मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधकों को प्रत्यायोजित नहीं किये जा सके हैं। म. प्र. भू–राजस्व संहिता में तदाशय के संशोधन की कार्यवाही की जा रही हैं।

राजस्व विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि व्यपवर्तन की कार्यवाही 60 दिवस के अंदर सुनिश्चित करे। पत्रा पृष्ठ क्रमांक 3 पर संलग्न है।

(ii) वसूली के अधिकार

वर्तमान प्रावधान :

वर्तमान में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 146 एवं 147 के तहत भू–भाटक, पूर्व ऋण, प्रब्याजी, शास्ति, जुर्माना एवं अन्य देय राशियों की वसूली के अधिकार तहसीलदार को हैं।

नवीन प्रावधान :

राजस्व विभाग की अधिसूचना क्र. ↑.15.32¹सात¹शा–8¹2000, भोपाल दिनांक 29ण1ण2001 के अनुसार तहसीलदार को प्रदत्त उक्त शक्तियाँ, प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रदत्त की गई हैं जिनका प्रयोग वे, उनकी क्षेत्राधारिता के भीतर ऐसे भू–भाटक (लीजरेंट), प्रीमियम, पूर्व ऋण

जुर्माना तथा अन्य देय राशियों, जो भू–राजस्व के बकाया तौर पर वसूलीय है, की वसूली के लिये प्रयोग कर सकेंगे।

राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 29ण्1ण्2001 पृष्ठ क्रमांक 5ए 6 पर संलग्न है।

स स स

मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग, मंत्रालय

क्रमांक 15.32ध्सातध्शा—8ध्2000 भोपाल दिनांक 27.1.2001

प्रति,

समस्त कलेक्टर,

मध्यप्रदेश

विषय : भूमि के व्यपवर्तन के प्रकरणों के संबंध में निर्देश।

यह अनुभव किया है कि कृषि प्रयोजन की भूमि के प्रयोजन परिवर्तन की अनुज्ञा के लिये मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत आवेदनों का निवर्तन कुछ त्वरित गति से न होने से उक्त प्रावधान में निर्धारित अवधि बीत जाने पर कल्पित (डीम्ड) व्यपवर्तन की स्थिति बनती है जिससे प्रीमियम उद्ग्रहण एवं भू—राजस्व के पुनः निर्धारण के बिन्दुओं पर अनेक कठिनाईयाँ उत्पन्न होती हैं साथ ही आवेदकों को भी लिखित अनुज्ञा न मिलने से आगामी कार्यवाहियों में कठिनाई होती है।

2 अतएव निर्देशित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिये प्रस्तुत आवेदनों का नियमानुसार त्वरित गति से परीक्षण करते हुये सामान्यतः आवेदन प्रस्तुति की दिनांक से 60 दिवस के भीतर अनुज्ञा दिये जाने अथवा अनुज्ञा से इंकार किये जाने का लिखित आदेश उपखण्ड अधिकारी जारी करे।

3 कृपया अपने जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों को उक्तानुसार समयावधि में कार्य करने हेतु निर्देशित करें।

सही /—

एन.एस. भटनागर

अपर सचिव,राजस्व विभाग

पृ.क्र. साध्शा.8ध्2000 भोपाल दिनांक 27.1.2001

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त,भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश,ग्वालियर,
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ।

सही /–

एन.एस. भटनागर

मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग, मंत्रालय

अधिसूचना

भोपाल दिनांक 29.1.2001

क्रमांक एफद्15.32द्सातद्शा.8द्2000 द् मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959द्ध की धारा 24 की उप धारा ;1द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा, उक्त संहिता की धारा 146 तथा 147 के अधीन तहसीलदार की शक्तियाँ, प्रबंधक संचालक औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रदत्त करती है। जिनका वे, उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर ऐसे भू–भाटक (लीज रेंट), प्रीमियम, पूर्व ऋण, जुर्माना तथा अन्य देय राशियों की जो भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूलीय हैं, वसूली करने के लिये प्रयोग कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही /–

एन.एस. भटनागर
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
REVENUE DEPARTMENT,
MANTRALAYA

NOTIFICATION

Bhopal, the 29th January 2001

No. F-15-32-VII-Sec.8-2000 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No.20 of 1959), the State Government, hereby, confer the powers of Tahsildar under Section 146 and 147 of the said code on Managing Director, Audyogik Kendra Vikas Nigam/Chief General Manager and Gereral Manager, District Trade and Industries Centre which they may exercise within their territorial jurisdiction for realising the lease-rent, premium, prior loans, fines and other dues which are recoverable as an arrear of land revenue.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh

Sd/-

(N.S. BHATNAGAR)
Addl.Secretary.

गृह विभाग

मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के तहत बेदखली के अधिकार

वर्तमान प्रावधान :

मध्यप्रदेश लोक परिसर अधिनियम 1974 में प्रदत्त शक्तियों का लोकपरिसर से बेदखली हेतु प्रयोग करने के लिये वर्तमान में सहायक/उप जिलाध्यक्ष सक्षम अधिकारी हैं।

नवीन प्रावधान :

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक थ्दृ1दृ21दृ2001दृदोदृए ;3द्ध दिनांक 24.1.2001 के अनुसार प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम तथा मुख्य महाप्रबंधकध् महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को बेदखली हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम तथा मुख्य महाप्रबंधकध्महाप्रबंधक उक्त शक्तियों का उपयोग, अपनी अधिकारिता के भीतर, औद्योगिक क्षेत्राों, संस्थानों, विकास केन्द्रों में स्थित भूमियों, भवनों तथा परिसरों के संबंध में बेदखली हेतु कर सकेंगे।

गृह विभाग की अधिसूचना पृष्ठ क्र 8ए 9 पर संलग्न है।

मध्यप्रदेश शासन

गृह विभाग,

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी, 2001

क्रमांक एफ 1721—2001—दो—ए ;3द्ध— मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र. 46 सन् 1974) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक को उनकी अपनी—अपनी अधिकारिता के भीतर, औद्योगिक क्षेत्रों, संस्थाओं तथा विकास केन्द्रों में स्थित भूमियों, भवनों तथा परिसरों के संबंध में, उक्त अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

सही /—

(एल.एस.बघेल)
उप सचिव

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Bhopal, dated 24th January, 2001

No. F 1721-2001-II-A (3) - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), the State Government hereby appoint Managing Director, Audyogik Kendra Vikas Nigam and Chief General Manager/General Manager of District Trade and Industries Centre as Competent Authority for exercising the powers under the said Act, in relation to the lands, buildings and premises situated in the industrial areas, institutions and growth centres, within their respective jurisdiction.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,
Sd/-

(L.S.BAGHEL)
Deputy Secretary,
Home Department.

वाणिज्यिक कर विभाग

औद्योगिक इकाइयों को अस्थायी एवं स्थायी पंजीयन प्रदान करने के अधिकार

वर्तमान प्रावधान :

वर्तमान में औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यिक कर विभाग का अस्थायी अथवा स्थायी पंजीयन प्रदान करने के अधिकार वाणिज्यिक कर/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्राप्त हैं।

नवीन प्रावधान :

वाणिज्यिक कर विभाग का आदेश क्रमांक ।.3.55.2000ङ्ख्.ट;1द्ध दिनांक 2.1.2001 द्वारा औद्योगिक इकाइयों को अस्थायी एवं स्थायी पंजीयन प्रदान करने के अधिकार संबंधित क्षेत्रा के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधकों को प्रदत्त किये गये हैं।

वाणिज्य कर विभाग का आदेश पृष्ठ क्र 11.16 पर संलग्न है।

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
COMMERCIAL TAX DEPARTMENT

ORDER

Bhopal, dated 2.1.2001

No. A-3-55/2000/STV(1) In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No.5 of 1995), the State Government hereby appoint the officers specified in column (2) of the schedule below, as Additional Commercial Tax Officers of the circle/sub-circle specified in column (3) and confers powers to perform the duties specified in column (4) of the said schedule.

SCHEME

S. No. (1)	Designation of the officer (2)	Circle/Sub -circle (3)	Duties to be performed (4)
1.	Chief General Manager/ General Manager Distt.Industries Centre, Indore	Indore Circle I,II,III,IV,V, VI,VII,VIII, IX,X,XI,XII, XIII,XIV and XV	To grant provisional/permanent registration certificate under sections 22,23 or 24 as the case may be to the dealer establishing new industrial
unit			in their respective jurisdiction.
2.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Dhar	Dhar I and II	-- do--
3.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Jhabua	Jhabua	-- do --
4.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre Khandwa	Khandwa and Burhanpur	-- do --

5.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Khargone	Khargone	-- do --
6.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Barwani	Sendhwa	-- do --
7.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Ujjain	Ujjain I, II, III	-- do --
8.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Dewas	Dewas	-- do --
9.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Shajapur	Shajapur	-- do --
10.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Rajgarh	Rajgarh	-- do --
11.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Bhopal	Bhopal I,II,III,IV,V and VI	-- do --
12.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Sehore	Sehore	-- do --
13.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Vidisha	Vidisha	-- do --
14.	Chief General Manager/ General Manager,	Hoshangabad and Itarsi	-- do --

	Distt. Industries Centre, Hoshangabad		
15.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Harda	Harda	-- do --
16.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Ratlam	Ratlam I,II and Jaora	-- do --
17.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Mandsaur	Mandsaur I, II	-- do --
18.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Neemuch	Neemuch I and II	-- do --
19.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Gwalior	Gwalior I,II, III and IV	-- do --
20.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Morena	Morena I, II	-- do --
21.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Bhind	Bhind	-- do --
22.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Guna	Guna	-- do --
23.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Shivpuri	Shivpuri	-- do --

24.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Datia	Datia	-- do --
25.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Jabalpur	Jabalpur I,II, III and IV	-- do --
26.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Katni	Katni	-- do --
27.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Mandla	Mandla	-- do --
28.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Narsinghpur	Narsinghpur	-- do --
29.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Sagar	Sagar I and II	-- do --
30.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Damoh	Damoh	-- do --
31.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Tikamgarh	Tikamgarh	-- do --
32.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Chhatarpur	Nowgaon	-- do --
33.	Chief General Manager/ General Manager,	Chhindwara I and II	-- do --

	Distt. Industries Centre, Chhindwara		
34.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Balaghat	Balaghat	-- do --
35.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Seoni	Seoni	-- do --
36.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Betul	Betul	-- do --
37.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Satna	Satna I and II	-- do --
38.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Rewa	Rewa	-- do --
39.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Shahdol	Shahdol	-- do --
40.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Sidhi	Bidhan	-- do --
41.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Sheopur	Morena II	-- do --
42.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Raisen	Bhopal VI	-- do --

43.	Chief General Manager Distt. Industries Centre, Panna	Nowgaon	-- do --
44.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Dhindori	Mandla	-- do --
45.	Chief General Manager/ General Manager, Distt. Industries Centre, Umaria	Shahdol	-- do --

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

Sd/-

(D.D. Agarwal)
Deputy Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Commercial Taxes Department,
Ministry, Vallabh Bhawan, Bhopal

श्रम विभाग

कारखाना अधिनियम 1948 के तहत धारा 6 (1) (कक) के अंतर्गत स्थल अनुमोदन तथा निर्माण एवं विस्तार की अनुमति देने के अधिकार

वर्तमान प्रावधान

वर्तमान में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6 ;1द्ध ;ककद्ध के तहत स्थल अनुमोदन करने एवं उस पर निर्माण तथा विस्तार करने की अनुमति दिये जाने के अधिकार मुख्य कारखाना निरीक्षक को प्रदत्त हैं।

नवीन प्रावधान

श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक थ्दृ28दृ87द्य2000द्द16 दृ। दिनांक 30.1.2001 द्वारा प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम तथा मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। उक्त अधिसूचना के आधार पर अब प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम तथा मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6 1 ;ककद्ध के तहत स्थल अनुमोदन एवं निर्माण तथा विस्तार हेतु, मुख्य कारखाना निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग कर, अनुमति प्रदान कर सकेंगे।

श्रम विभाग की अधिसूचना पृष्ठ क्रमांक 18ए 19 पर संलग्न है।

मध्यप्रदेश शासन

श्रम विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 28—87 / 2000 / 16—ए   भोपाल दिनांक 30 जनवरी, 2001

अधिसूचना

कारखाना अधिनियम, 1948 ;1948 का संख्यांक 63द्ध की धारा 8 की उपधारा ;2कद्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम ;2द्ध में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, मुख्य कारखाना निरीक्षक की सहायता करने के लिये तथा उक्त सारणी के कालम ;3द्ध में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात :—

अनुक्रमांक	अधिकारियों के पदनाम	मुख्य निरीक्षक की शक्तियाँ
1ण	प्रबंध संचालक, म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 6 (1) (कक)
2ण	मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	——— तदैव ———

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

सही / —

(ओ.पी. शर्मा)
उप सचिव,
म.प्र. शासन, श्रम विभाग

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
LABOUR DEPARTMENT
MANTRALAYA

No. F 28-87/2000/16-A Bhopal, dated 30th January, 2001

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-sections (2A) of Section 8 of the Factories Act, 1948 (No.LXIII of 1948) the State Government hereby appoints the officers specified in column (2) of the table below as Additional Chief Inspector of Factories to assist the Chief Inspector of Factories and to exercise the powers of the Chief Inspector as specified in column (3) of the said table, namely :-

S.No.	Designation of the officers	Powers of the Chief Inspector
1.	Managing Director of M.P.A.K.V.N.	Section 6 (1) (aa) of Factories Act, 1940
2.	Chief General Manager/ General Manager, District Trade and Industries Centres	----do----

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

Sd/-

(O.P.SHARMA)
Deputy Secretary,
Labour Department,
M.P.Government.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

100 वर्गमीटर अथवा उससे ऊपर हीटिंग सरफेस के बॉयलरों को निरीक्षण से छूट देने के संबंध में।

वर्तमान प्रावधान

वर्तमान में 22.75 लीटर से अधिक क्षमता वाले बॉयलरों को इंडियन बॉयलर एक्ट 1923 के प्रावधानों के तहत निरीक्षण कराना अनिवार्य है।

नवीन प्रावधान :

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.4.2001 के अनुसार 100 वर्ग मीटर अथवा उससे कम हीटिंग सरफेस के बॉयलरों को इंडियन बॉयलर एक्ट 1923 की धारा 7 की उपध ाारा (2) एवं (3) के उपबंधों के प्रवर्तनों से अधिसूचना में निहित शर्तो के अध्यधीन, अपवर्जित किया गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना पृष्ठ क्रमांक 21-24 पर संलग्न है।

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 24.4.2001

क्रमांक एफ 2(2)/1/2001/अ/ग्यारह : यतः राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि मध्य प्रदेश राज्य में द्रुतगामी औद्योगीकरण के लिये यह आवश्यक है कि कतिपय वर्ग के बायलरों को, भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 का सं 5 के उपबंधों के प्रवर्तन से अपवर्जित किया जाये;

अतः भारतीय बायलर अधिनियम 1923 ;1923 का सं 5) की धारा 34 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में संस्थापित किये जा रहे ऐसे बायलरों को, जिनका हीटिंग सरफेस एरिया 100 वर्ग मीटर या कम है, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) और (3) के उपबंधों के प्रवर्तन से, निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुये अपवर्जित करती है, अर्थात :–

शर्तें

1. उक्त छूट केवल ऐसे नये बायलरों को ही लागू होगी जो कि भारतीय बायलर विनियम, 1950 के अनुसार निर्मित किये गये हैं।

2. बायलर को उसके उपयोग के पूर्व रजिस्ट्रीकृत कराना आवश्यक होगा।

3. भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपबंधों के अनुसार बायलर के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन के साथ भारतीय बायलर विनियम, 1950 के विनियम 4 के खण्ड (ई) में यथा उपबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

4. आंतरिक परीक्षण कर लेने और कार्यकारी दाब (वर्किंग प्रेशर) के 1.5 गुने हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट करा लेने का स्वयं का प्रमाण पत्रा प्रस्तुत करना होगा।

5ण्भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 2 के खण्ड ;घद्ध के अनुसार बायलर के स्वामी/अभिकर्ता को, उसके स्वामी होने की घोषणा पत्रा प्रस्तुत करनी होगी।

6ण्उक्त छूट, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियम में यथा उपबंधित स्टीम पाईप लाइन के परीक्षण आदि को लागू नहीं होगी।

7ण्संचालक, बायलर, मध्यप्रदेश उपर उल्लेखित समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ सम्यकरूप से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति पर, 15 दिनों के भीतर बायलर को रजिस्टरांकित करेगा और प्रमाण पत्रा जारी करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

हस्ता/–

ए.के.जैन
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

COMMERCE AND INDUSTRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. F2(2)/1/2001/A/XI Bhopal,dated 24.4.2001

Whereas the State Government is satisfied that for the rapid industrialisation in the State of Madhya Pradesh, it is necessary to exclude certain class of Boilers from the operation of the provisions of the Indian Boilers Act, 1923 (No.V of 1923).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 34 of the Indian Boilers Act, 1923 (No. V of 1923), the State Government hereby exclude such boilers which is being installed in the State of Madhya Pradesh whose heating surface area is 100 sq.m. or less, from the operation of the provisions of sub-section (2) and (3) of Section-7 of the said Act, subject to the following conditions namely:-

CONDITIONS

1. The above exemption will be applicable to such new boilers only, which have been constructed in accordance with the Indian Boiler regulation, 1950.
2. It will be necessary to get the boiler registered prior to its use.
3. As per the provisions of clause (c) of sub-Section (1) of Section 14 of the Indian Boilers Act 1923, all necessary documents, as provided in clause (e) of regulation 4 of the Indian Boiler Regulation 1950, shall have to be submitted, along with the application for registration of the boiler.
4. The Owner/Agent of the boiler shall have to furnish a self certificate of carrying out, boiler's external and internal examination and the hydraulic pressure test of 1.5 times the working pressure.
5. As per clause (d) of Section 2 of Indian Boilers Act 1923, the Owner/Agent of the boiler shall have to submit a declaration of being its owner.
6. The above exemption will not be applicable to the examination etc. of the steam pipe lines as provided in the Act or Regulation made thereunder.

7. On receipt of the duly completed application accompanied with all the above mentioned necessary documents, the Director of Boiler's Madhya Pradesh shall register the boiler in 15 days and issue the certificate.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

Sd/-

(A.K.JAIN)
Additional Secretary,
Commerce & Industry Department.

उर्जा विभाग

निम्न एवं उच्च दाब उपभोक्ताओं को विद्युत भार स्वीकृत करने के अधिकार

वर्तमान प्रावधान :

वर्तमान में औद्योगिक इकाईयों को विद्युत भार स्वीकृत करने की शक्तियाँ मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के अधीन है।

नवीन प्रावधान :

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के परिपत्रा क्रमांक 05ध01ध961ए दिनांक 29.1.2001 के अनुसार निम्न दाब उपभोक्ताओं को 150 एच.पी. तक तथा उच्च दाब उपभोक्ताओं को 2000 के.वी.ए. तक विद्युत भार स्वीकृत करने की शक्तियाँ मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधकों को उनके कार्य क्षेत्रा की सीमा तक प्रत्यायोजित की गई है। मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक इकाई से प्राप्त आवेदन पर लिखित में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के अधीक्षण यंत्राी से अभिमत प्राप्त करेंगे। अधीक्षण यंत्राी से 30 दिवस में अभिमत प्राप्त न होने पर इसे मंडल की प्रस्ताव से सहमति समझा जायेगा। तत्पश्चात् मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक इकाई के पक्ष में स्वीकृति जारी करने हेतु प्राधिकृत होंगे।

म. प्र. विद्युत मण्डल का पत्रा दिनांक 29.01.2001 पृष्ठ क्रमांक पर 26.27 संलग्न है।

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल

क्रमांक 05-01/961 जबलपुर दिनांक 29.1.2001

प्रति,

1. प्रबंध संचालक,
   ए.के.व्ही.एन
2. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,
   जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
3. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता,
   समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. विद्युत मंडल
4. अधीक्षण अभियंता,
   म.प्र. विद्युत मंडल,
   समस्त संचा.संधा.वृत्त,म.प्र.

विषय : औद्योगिक उपभोक्ताओं को 2000 के.वी.ए. तक विद्युत भार स्वीकृत करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन।

संदर्भ : म.प्र. शासन, उर्जा विभाग का ज्ञापन क्र 8721/13/2000] दिनांक 12-12-2000.

एकल एजेंसी क्लीयरेंस प्रणाली के संबंध में म.प्र. शासन मंत्री परिषद ने दिनांक 11.11.2000 को निम्नानुसार निर्णय लिये हैं :–

''निम्न दाब वाले उपभोक्ताओं को 150 एच.पी. तथा उच्च दाब उपभोक्ताओं को 2000 के.वी.ए. तक विद्युत भार स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्रबंध संचालक, ए.के.व्ही.एन., मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को उनके कार्य क्षेत्रा की सीमा में प्रत्यायोजित की जायें। संबंधित अधीक्षण यंत्री म.प्र. विद्युत मंडल से लिखित में परामर्श प्राप्त करने के पश्चात वे स्वीकृति पत्रा जारी करने हेतु अधिकृत होंगे। अधीक्षण यंत्री म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त प्रस्तावों पर 30 दिवस की अवधि के अंदर अभिमत भेजना आवश्यक होगा। यदि अधीक्षण यंत्री से निर्धारित अवधि में अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो इसे बोर्ड के प्रस्ताव से सहमति समझा जायेगा।''

2. मंत्री परिषद के उपरोक्त निर्णय के अमल के उद्देश्य से निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैंः–

1. निम्न दाब वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को 150 अश्व शक्ति तथा उच्च दाब वाले उपभोक्ताओं को 2000 के.वी.ए. तक विद्युत भार स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्रबंध संचालक, ए.के.व्ही. एन. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को उनके कार्य क्षेत्रा की सीमा के भीतर प्रत्यायोजित की जाती हैं। विद्युत मंडल के समस्त क्षेत्राीय कार्यपालक निदेशकों तथा मुख्य अभियंताओं को भी समान शक्तियॉ प्रदत्त की जाती है। संबंधित अधीक्षण यंत्रियों को उनके कार्य क्षेत्रा में 150 अश्व शक्ति क्षमता तक के विद्युत भार देने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती है।

2. संबंधित अधीक्षण यंत्री, म.प्र. विद्युत मंडल को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रत्येक प्रकरण में तकनीकी परीक्षण कर तकनीकी शर्तों का खुलासा करें और आवश्यकतानुसार तकनीकी शर्तें अधिरोपित करावें।

3. संबंधित अधीक्षण यंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदित विद्युत भार स्वीकृत करने के लिये समस्त तकनीकी आवश्यकताओं एवं मापदण्डों की पूर्ति कर ली गई है। यदि तकनीकी आवश्यकताओं और मापदण्डों की पूर्ति नहीं की गई हो तो सकारण स्पष्ट जानकारी आवेदन प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह के भीतर प्रबंध संचालक, ए.के.व्ही.एन., मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को विदित करावें।

4. यदि किसी अधीक्षण यंत्री के कार्य क्षेत्रा मे डीम्ड सहमति की स्थिति बनती है और बकाया विद्युत भार बढाने संबंधी आवश्यक भुगतान तथा लाईन अफोर्डिंग चार्जेस, अमानत राशि, भार वृद्धि शुल्क, कनेक्शन शुल्क, मीटर अमान आदि जमा कराने की स्पष्ट शर्तें होना चाहिए।

5. पूर्व बकाया एवं विद्युत मण्डल के शुल्क नियमानुसार जमा कराने तथा तकनीकी शर्तों के पालन करने के उपरांत ही आवेदक को विद्युत प्रदाय की जाय।

सही/–

कार्यपालक निदेशक

आवास एवं पर्यावरण विभाग

;प्द्ध ''औद्योगिक इकाईयों के भूमि विकास कार्य के अनुमोदन का अधिकार''

वर्तमान प्रावधान :

वर्तमान में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29 एवं 30 के अनुसार औद्योगिक इकाईयों के भूमि विकास हेतु अनुमोदन के अधिकार संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को हैं।

नवीन प्रावधान :

आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 3द्162द्32द्2000ए दिनांक 5.12.2000 एवं संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा जारी आदेश क्रमांक 27द्विधि/एम–87 दिनांक 2.1.2001 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 1152/विधि/एम–50, दिनांक 14.2.2001 के अनुसार औद्योगिक इकाइयों के भूमि विकास कार्य के अनुमोदन प्रदान करने के अधिकार संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधकों को दिये गये हैं।

आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना पृष्ठ क्रमांक 29.30 एवं संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश का आदेश पृ. क्र. 31.35 पर संलग्न है।

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 15, दिसम्बर 2000

क्रमांक एफ–3/162/32/2000 म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अंतर्गत महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को म.प्र. स्थित औद्योगिक केन्द्रों में भूमि विकास के प्रस्तावों का परीक्षण कर अनुमोदन देने हेतु संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सहायता करने के लिये उनके अधीनस्थ नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही/–

(एस.के. दुबे),
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक एफ–3/162/32/2000 भोपाल दिनांक 15 दिसम्बर 2000

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, भोपाल को सूचनार्थ।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।
5. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा विभाग, भोपाल को सूचनार्थ ।

7. समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग उद्योग केन्द्र,....म.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक,नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय,म.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9. उप नियंत्राक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल को म.प्र. राजपत्रा भाग—1 के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु अग्रेषित।

सही/—

(एस.के. दुबे),
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल

5 वीं मंजिल, गंगोत्री भवन,न्यू मार्केट, टी.टी. नगर,भोपाल

क्रमांक 875/विधि/एम–87 भोपाल, दिनांक 2.2.2001

आदेश

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक 27/विधि/एम–87, दिनांक 2.1.2001 में आंशिक संशोधन करते हुए, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3/162/2000 दिनांक 15.12.2000 एवं शुद्धि पत्रा क्रमांक 3/162/32/2000 दिनांक 1.2.2001 के अनुसरण में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 75 की उपधारा ;दोद्ध के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27ए 29 एवं 30 की संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियाँ अनुसूची क्रमांक 1 में दर्शाये गये अधीनस्थ अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले औद्योगिक केन्द्रों के भूमि विकास के प्रस्तावों को परीक्षण कर अनुमोदित करने हेतु प्रत्यायोजित की जाती है।

अधिनियम की धारा 24 की उपधारा ;4द्ध के प्रावधानानुसार भूमि विकास की अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान अनुसार ही दी जाना है। अतः जिन क्षेत्रों पर यह नियम प्रभावशील है, वहाँ पर म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम दो के उप नियम ;5द्ध एवं खंड ;कद्ध के अंतर्गत भूमि विकास के प्रस्ताव का परीक्षण कर अनुमोदित करने हेतु अनुसूची क्रमांक 1 में दर्शाये अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है।

सही /–

(के.के. सिंह)
संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र., भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक 876धविधि / एम–87, भोपाल, दिनांक 2.2.2001

प्रतिलिपि :

1ण्प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वा. एवं उ. विभाग भोपाल को सूचनार्थ।

2ण्प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।

3ण्प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग, भोपाल।

4ण्प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।

5ण्आयुक्त, उद्योग विभाग, म.प्र., भोपाल।

6ण्संचालक, पंचायत एवं समाजसेवा विभाग, भोपाल।

7ण्समस्त महाप्रबंधक, जि.उ.के......

8ण्अपर संचालक, तकनीकी प्रकोष्ठ, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9ण्समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सही /–

; **के.के. सिंह** द्ध

संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र., भोपाल

अनुसूची – 1

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश,

मध्यप्रदेश, भोपाल

क्र	अधिनियम की धारा	शक्तियों का वर्णन	जिस अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित की जा रही है, उसका पदनाम	क्षेत्राधिकार
1	धारा 27	औद्योगिक क्षेत्रा के भूमि विकास के प्रस्तावों को अनुमोदित करना।	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	संबंधित जिले के औद्योगिक केन्द्र के लिये

टीप : मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रा के भूमि विकास के प्रस्तावों का परीक्षण करना अनिवार्य है।

सही /–

के.के. सिंह,

संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

5 वीं मंजिल, गंगोत्री भवन, भोपाल

क्रमांक 1152ध्विधि/एम—50 भोपाल 14 फरवरी 2001

शुद्धि पत्रा

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 75 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों संबंधी संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. के आदेश क्रमांक 875ध्विधि—एम—87, दिनांक 2.2.2001 में धारा 27ए 29 एवं 30 के स्थान पर 29 एवं 30 पढ़ा जाये।

हस्ता /—

के.के. सिंह,
संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग

पृ.क्र. 1153ध्विधिध्एम—50 भोपाल, दिनांक 14.2.2001

प्रतिलिपि :—

1ए प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वा. एवं उ. विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।

2ए प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्या. विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।

3ए प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सूचनार्थ।

4ए प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।

5ए आयुक्त, उद्योग विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।

6ए संचालक, पंचायत एवं समाजसेवा विभाग, भोपाल।

7ए समस्त महाप्रबंधक, जि.उ.के......

8ए अपर संचालक ;तकनीकी प्रकोष्ठद्ध नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

१७ समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सही /–

के.के. सिंह,
संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

ग्राम पंचायतों के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को भवन निर्माण की अनुमति दिये जाने के अधिकार

वर्तमान प्रावधान :

पंचायती राज अधिनियम, 1993 की धारा 55 ;1द्ध के अनुसार किसी औद्योगिक इकाई को भवन निर्माण अनुज्ञा देने के अधिकार वर्तमान में ग्राम पंचायतों को प्रदत्त है। अधिनियम की उक्त धारा में ही डीम्ड अनुज्ञा का भी प्रावधान है, जिसके अनुसार आवेदन प्राप्ति से 45 दिन के अंदर अनुज्ञा प्राप्त न होने पर यह समझ लिया जावेगा कि आवेदन कर्ता को स्वीकृति मिल गई है।

नवीन प्रावधान :

म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्रा क्रमांक 16.88द्द2000द्द22द्धप.2 दिनांक 30.1.2001 के अनुसार अब ये व्यवस्था की गई है कि किसी औद्योगिक इकाई को उसके द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन किये जाने पर यदि आवेदन प्राप्ति के दिनांक से 45 दिनों के भीतर अनुज्ञा प्राप्त नहीं होती है तो प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम अथवा मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक को उनके क्षेत्राांतर्गत पंचायती राज अधिनियम की धारा 55 ;1द्ध के अनुसार डीम्ड अनुमति की पुष्टि संसूचित करने का अधिकार होगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्रा दिनांक 30.01.2001 पृष्ठ क्रमांक पर 37.38 संलग्न है।

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय

क्रमांक 16.88६2000६22६प–2 भोपाल, दिनांक 30 जनवरी, 2001

प्रति

1ए समस्त संभागीय आयुक्त,
मध्यप्रदेश

2ए समस्य जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

3ए समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय : एकल एजेंसी क्लीयरेंस प्रणाली।

मध्यप्रदेश में नवीन उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नवीन औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की अनुज्ञा जारी करने का अधिकार एक ही एजेंसी को सौंपी जाए। इसके अन्तर्गत वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के विभिन्न अधिकारियों को संबंधित विभागों के मामले में अनुज्ञा आदि जारी करने हेतु अधिकृत किया गया हैं।

2 मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 2001 की धारा 55 के अधीन भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्राण की शक्तियाँ ग्राम पंचायत को प्रत्यायोजित हैं और उसकी अनुज्ञा के बिना किसी भवन का परिनिर्माण/परिवर्धन/पुननिर्माण नहीं करने का भी प्रावधान है। धारा 55 की उपधारा ;1द्ध में यह प्रावधान है कि 'यदि अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन के भीतर ऐसी अनुज्ञा देने से इंकार करने की संसूचना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दी जाती है तो यह उपधारित किया जाएगा कि अनुज्ञा दे दी गई है।'

3ए इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रबंध संचालक, ए.के.व्ही.एन./मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, डी.टी.आई.सी. द्वारा निर्धारित अवधि व्यतीत होने के पश्चात् तथा अधिनियम के प्रावधान अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा पंचायत में आवश्यक शुल्क

जमा होने को सुनिश्चित करने के पश्चात् डीम्ड अनुमति की पुष्टि की जाएगी।

4. यह आदेश केवल औद्योगिक क्षेत्रा में लागू होगा।

5. उपरोक्त निर्णय से संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के सरपंच/सचिव को अवगत करायें।

सही/-

(प्रसन्न दाश)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

औद्योगिक इकाइयों को भवन निर्माण अनुज्ञा दिये जाने के अधिकार

वर्तमान प्रावधान :

वर्तमान में म.प्र. नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 293 से 301 तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 187 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को भवन निर्माण अनुज्ञा दिये जाने के अधिकार नगर निगम आयुक्त अथवा नगर पालिका अधिकारी को प्रदत्त हैं। उक्त अधिनियमों में आवेदन प्राप्ति से एक माह के भीतर अनुज्ञा प्राप्त न होने पर डीम्ड अनुज्ञा प्राप्त होने का प्रावधान है ।

नवीन प्रावधान :

म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्रा क्रमांक 359‍18.3‍2001 दिनांक 9.2.2001 के अनुसार अब यह व्यवस्था की गई है कि औद्योगिक इकाइयाँ भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु, निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम अथवा मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को आवेदन प्रस्तुत करेंगी। ऐसे आवेदन को यथा स्थिति प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम अथवा मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र संबंधित, नगर पालिक आयुक्त/मुख्य नगर पालिक अधिकारी को प्रेषित करेंगे। यथा स्थिति नगर पालिक आयुक्त/मुख्य नगर पालिक अधिकारी आवेदन प्राप्ति से एक माह के भीतर भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करेंगे। एक माह के भीतर अनुज्ञा प्राप्त न होने पर प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम अथवा मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को यह अधिकार होगा कि वे औद्योगिक इकाई को इस डीम्ड अनुमति की सूचना दे सकेंगे।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्रा दिनांक 9.2.2001 पृष्ठ क्रमांक 40.41 पर संलग्न है।

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय

क्रमांक 359६18.3६2001 भोपाल, दिनांक 9 फरवरी, 2001

प्रति

1ण समस्त नगर पालिक आयुक्त,
नगर पालिक निगम, मध्यप्रदेश

2ण समस्त मुख्य नगर पालिक अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, मध्यप्रदेश

विषयः— 'औद्योगिक इकाई' को भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने संबंधी।

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 'औद्योगिक इकाइयों' को भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने के लिये एकल एजेंसी क्लीयारेंस प्रणाली लागू की जायें। उपर्युक्त संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था अवधारित की जाती है :—

'औद्योगिक इकाई' यथा स्थिति प्रबंध संचालक, ए.के.व्ही.एन. एवं मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक. डी.टी.आई.सी. को भवन निर्माण अनुज्ञा का आवेदन नगरीय निकाय में भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधी लागू विधि एवं नियम में वर्णित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत करेंगे। ऐसे आवेदन को यथा स्थिति प्रबंध संचालक, ए.के.व्ही.एन. एवं मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, डी.टी.आई.सी. संबंधित नगर पालिक आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रेषित करेंगे। यथा स्थिति नगर पालिक आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी आवेदन पत्रा की प्राप्ति से एक माह के भीतर भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने की व्यवस्था करेंगे। ;इस संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 295 की उपधारा ;3द्ध तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 187 की उपधारा ;6द्ध के अनुसार आवेदन प्राप्ति से एक माह के भीतर भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करना आवश्यक है) यदि एक महीने के भीतर संबंधित नगर पालिक आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, भवन निर्माण अनुज्ञा जारी नहीं करते है, तब यथा स्थिति प्रबंध संचालक, ए.के.व्ही.एन. एवं मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, डी.टी.आई.सी. उक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति पर संबंधित 'औद्योगिक इकाई' को अनुमति मान्य की जाती है, ऐसा सूचित करेंगे, इस शर्त के अध्यधीन 'डीम्ड' अनुमति के मामले में संबंधित अधिनियम के सभी सुसंगत प्रावधान ठीक उसी

प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे वर्तमान में प्रदत्त अनुमति के लिये लागू होते हैं।'

सही/–

(पी.के. राही)

उप सचिव

म.प्र.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ. क्रमांक 360ध्18.3ध्2001 भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2001

प्रतिलिपि :

1ण आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल।

2ण समस्त उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही/–

(पी.के. राही)

उप सचिव

म.प्र.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
भोपाल – 462004

दिग्विजय सिंह
मुख्यमंत्री

संदेश

मध्यप्रदेश सरकार की अपने कामकाज में हमेशा पारदर्शिता और जटिल एवं कठिन प्रक्रियाओं को आसान बनाने की प्राथमिकता रही है ताकि शासन की कल्याणकारी नीतियों का लाभ बिना किसी व्यवधान के जनसामान्य को मिल सके।

प्रदेश में औद्योगीकरण को त्वरित गति देने की दृष्टि से 'सिंगल एजेन्सी क्लीयरेन्स प्रणाली' लागू की गई है। जिसके अन्तर्गत उद्योगों को त्वरित स्थापना के लिये विभिन्न विभागों की शक्तियाँ उद्योग विभाग के जिला अधिकारियों को भी दी गई है। इस प्रकार की अभिनव व्यवस्था को प्रभावशील करने वाला यह प्रथम प्रदेश है।

प्रकृति की अपार धरोहर एवं सम्पदा से सम्पन्न इस प्रदेश में औद्योगिक विकास की विपुल संभावनायें हैं। प्रदेश के प्रभावी औद्योगिकरण व सौहाद्रपूर्ण 'उद्योग–मित्रा' वातावरण के लिए शासन कृत संकल्पित है। मध्यप्रदेश में शीघ्र ही आर्थिक विकास नीति घोषित की जा रही है।

मैं आशा करता हूँ कि इस नई व्यवस्था से प्रदेश के औद्योगीकरण को एक नई दिशा मिलेगी व उद्योगपति लाभान्वित होंगे।

शुभकामनाओं सहित

(दिग्विजय सिंह)

अ.शा. पत्रा क्रमांक 2६4742
बी – 2ए 74 बंगले, भोपाल
कार्यालय : 550347
निवास : 550961
552014
फेक्स : 550961

भोपाल, दिनांक : 6६11६2001

नरेन्द्र नाहटा
मंत्री,
वाणिज्य एवं उद्योग तथा
सूचना एवं प्रौद्योगिकी

संदेश

मध्यप्रदेश में प्रभावी एवं गतिशील औद्योगीकरण की दिशा में मध्यप्रदेश शासन द्वारा उद्योग की स्थापना एवं उनके संचालन की प्रकिया के सरलीकरण के उद्देश्य से समय–समय पर विभिन्न सार्थक प्रयास किए गए हैं।

माननीय मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी की पहल पर प्रदेश में उद्योगों की त्वरित स्थापना की दृष्टि से 'सिंगल एजेन्सी क्लियरेन्स प्रणाली' लागू की गई है। जिसके अन्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु लगने वाली विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त अनुमतियाँ, स्वीकृतियाँ, अनुज्ञप्तियाँ आदि जारी करने के अधिकार विभागीय अधिकारियों के साथ–साथ उद्योग विभाग के अधिकारियों को भी प्रदत्त किए गए हैं।

यह एक अभिनव प्रयास है। मध्यप्रदेश इस व्यवस्था को प्रभावशील करने वाला प्रथम प्रदेश है।

उद्योग किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अधिकाधिक उद्योग लगें, व्यापार बढ़े तथा प्रदेश में पूंजी निवेश आकर्षित हो, इसके लिए प्राथमिकता एवं मूलभूत आवश्यकता इस बात की हैं कि शासन की नीतियाँ व्यवहारिक हों व औद्योगिक वातावरण के अनुकूल हों। इस दिशा में 'सिंगल एजेन्सी क्लीयरेन्स प्रणाली' एक सार्थक प्रयास है। मुझे विश्वास है कि यह व्यवस्था उद्योगों के हित में व प्रदेश के औद्योगिकीकरण में मील का पत्थर साबित होगी।

मैं आशा करता हूँ कि इस नवीन व्यवस्था के फलस्वरूप प्रदेश में एक नये ''उद्योग–मित्रा'' युग का सूत्रापात्रा होगा तथा हम उद्यमियों को प्रदेश में पूंजी निवेश करने हेतु आकर्षित करने एवं उनका विश्वास अर्जित करने में सफल होगें।

(नरेन्द्र नाहटा)

Tel : Off.: 551370
551848
Res : 552298
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004
Government of Madhya Pradesh
Vallabh Bhavan, Bhopal - 462004

पी.के. मेहरोत्राा
मुख्य सचिव
Chief Secretary

भोपाल, दिनांक : 07/11/2001

संदेश

विगत कई वर्षों से यह महसूस किया जा रहा था कि उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न विभागों से लाइसेंस, पंजीकरण एवं स्वीकृतियाँ आदि प्राप्त करने में उद्योगपतियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिनके कारण उद्योग स्थापना में विलम्ब होता है। आर्थिक उदारीकरण एवं विश्वव्यापीकरण के परिदृश्य में यह आवश्यक है कि त्वरित उद्योग स्थापना की दिशा में हर संभव सहयोग प्रदान किया जाये जिससे उद्योगपति एवं सरकार के मध्य परस्पर विश्वास का वातावरण एवं सामंजस्य स्थापित हो सके।

मुझे प्रसन्नता है कि उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के उद्योगों के हित में 'सहयोगी' के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया गया है। इसकी नवीनतम कड़ी है 'सिंगल एजेन्सी क्लीयरेंस प्रणाली।'

इस व्यवस्था के अन्तर्गत उद्योग विभाग के अधिकारियों को उन विभागों की शक्तियाँ प्रदत्त की गई है जिनकी अनुमतियाँ, स्वीकृतियाँ व लाइसेंस आदि उद्योग स्थापना हेतु आवश्यक है। अब वे उद्योगों की समस्याओं का निराकरण स्वयं के स्तर पर कर सकने में सक्षम होंगे।

इस व्यवस्था के लागू होने से उद्योग विभाग के अधिकारी से अपेक्षायें अब पहले से कहीं अधिक होगी।

मुझे उम्मीद है कि विभागीय अधिकारी इस दायित्व को चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे तथा उद्योगपतियों की आशाओं पर पूर्ण रूप से खरे उतरेंगे।

(पी.के. मेहरोत्राा)